



13.04.2012

My Lord

Government vide G.O. No. 742/VIII-Nyaya-1-12-10/98, dated 12.4.2012 (copy enclosed) have enhanced the admissible limit of rate of amount of Rs. 3,000/- per month for engagement of sewaks for day-to-day casual work.

Now Hon'ble the former Chief Justices and Hon'ble Former Judges are entitled for Rs. 14,000/- and Rs. 10,000/- respectively per month for the aforesaid purpose.

The Joint Registrar (A/c) has been asked to take steps accordingly.


13.4.12
Registrar General

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)
संख्या: 742/सात-न्याय 1-12-10/98
लखनऊ: दिनांक 12 अप्रैल, 2012

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-जी-4387 / सात-न्याय-1-04-60 / 98 टी0सी0, दिनांक 28-12-04 को अतिक्रमित करते हुए मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मा0 मुख्य न्यायाधीश एवं मा0 न्यायाधीशों को नित्य-प्रतिदिन के आकस्मिक कार्यों के सम्पादन के लिए ली जाने वाली सेवाओं हेतु रू03000/- से बढ़ाकर मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मा0 मुख्य न्यायाधीश महोदय को रू0 14,000/- एवं सेवानिवृत्त मा0 न्यायाधीशगणों को रू0 10,000/- प्रतिमाह घरेलू सेवक भत्ता स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2014-न्याय प्रशासन - आयोजनेत्तर-102-उच्च न्यायालय-03-उच्च न्यायालय-02-मजदूरी के नामें डाला जायेगा।

3- उपर्युक्त व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- ई-12-596/दस-2012 दिनांक 09 अप्रैल, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

जकी उल्ला खां
प्रमुख सचिव।

संख्या: 742(1)/सात-न्याय-1-2012-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ
- 4- कोषधिकारी, इलाहाबाद/लखनऊ।
- 5- वित्त ई-12 तीन प्रतियों में।
- 6- न्याय अनुभाग-9 (बजट)
- 7- अनुश्रवण प्रकोष्ठ, न्याय विभाग/विधि परामर्शी पुस्तकालय।
- 8- अधिष्ठान समीक्षा अधिकारी, गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

हस्ताक्षर अपठनीय

(सै0 मो0 हसीब)
विशेष सचिव।